

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6787/

2200

दिनांक: 13-10-16

सेवा में

वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार ।

विषय: Diversion of 0.351 ha. of forest land for laying of OFC from Surewala Chowk to Bithmara km. 196.3 to 204.1 at HBT road, under forest division and District Hisar, Haryana.
Online Proposal No.FP/HR/Others/16307/2015.
संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 607 दिनांक 2-9-2016 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयांकित उद्देश्य हेतु 0.351 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी ।
2. इस केस में कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा ।
3. प्रयोक्ता एजेंन्सी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी ।
4. उपरोक्त गैर वानिकी कार्य के लिए वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जाएगी और खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा पुनः स्थापित की जाएगी ।
5. प्रयोक्ता एजेंन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि को भरपाई करेगी ।
6. प्रयोक्ता एजेंन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।
7. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
8. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव की अनुमति पर निर्भर करती है जैसा कि इस प्रस्ताव पर लागू है ।
9. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
10. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी ।
11. इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द किया जा सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डल अधिकारी, हिसार ।
2. M/s Reliance Jio Infocomm Ltd., Mohali.